



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग

चाय बगान, कालीनगर, नामकोम, राँची-834010.
ई-मेल- Jharkhand_ssc@rediffmail.com

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 (मुख्य)

आवश्यक सूचना

प्रमाण पत्रों की जाँच का कार्यक्रम

स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 (मुख्य) के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच आयोग द्वारा दिनांक 07.06.2017 से 13.06.2017 तक की गई थी। उक्त जाँच में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर देते हुए दिनांक 05.07.2017 के पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक जाँच कार्यक्रम आयोग कार्यालय कालीनगर, चाय बगान, नामकोम, राँची में आयोजित किया गया है। इस जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं ही उत्तरदायी होंगे। प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु अंतिम अवसर दिए गए अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक (Roll No) निम्नवत् है:-

सीधी भर्ती के तहत आमंत्रित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक

विषय: रसायन शास्त्र, अनुक्रमांक: 13020008, 13020189, 14020065, 14020066, 14020134, 14020237, 15020070, 15020297, 17020134, 17020140, 17020303.

विषय: भौतिक शास्त्र, अनुक्रमांक: 11010168, 11010493, 11010807, 11011064, 12010465.

विषय: इतिहास, अनुक्रमांक: 21030482, 24030459, 34030284, 35030163.

झारखण्ड सरकार के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की रिक्ति के विरुद्ध आमंत्रित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक

विषय : रसायन शास्त्र, अनुक्रमांक: 14020152, 14020209, 14020245, 15020080, 15020282, 15020325, 16020452, 17020247.

विषय : भौतिक शास्त्र, अनुक्रमांक: 11010088, 11010208, 11010859.

विषय : इतिहास, अनुक्रमांक: 18030077, 18030330, 19030131, 19030134, 19030246, 19030408, 21030197, 21030234, 21030448, 21030481, 22030527, 22030623, 23030007, 24030288, 25030328, 26030339, 27030092, 27030165, 28030196, 29030547, 31030693, 32030600.

2. अभ्यर्थी जाँच हेतु उपर्युक्त परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र (Admit Card) तथा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूलप्रति, एक-एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ तथा हाल में खींचा गया दो पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो लेकर उपस्थित होंगे। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जाँच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर आयोग निर्णय ले सकता है। जाँच हेतु वांछित प्रमाण पत्रों की सूची नीचे अंकित है :-

- I. मैट्रिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र (मूल प्रति)।
 - II. पद की अपेक्षा के अनुरूप इन्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर तथा बी.एड. परीक्षा उत्तीर्णता से सम्बंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति। कोई अभ्यर्थी यदि किसी उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को धारित करते हैं तो तत्सम्बंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
 - III. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए
 - क) क्षैतिज आरक्षण के दावे के लिए झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (प्रासंगिक परीक्षा) की विवरणिका के परिशिष्ट-III के प्रपत्र में (मूल प्रति)।
 - ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के संदर्भ में जाति प्रमाण पत्र प्रासंगिक परीक्षा की विवरणिका के परिशिष्ट-I के प्रपत्र में (मूल प्रति)।
 - ग) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के लिए दिनांक 31.03.2013 के पश्चात् निर्गत विवरणिका के परिशिष्ट-II के प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र, जिसमें क्रिमी लेयर का स्पष्ट उल्लेख हो।
- नोट:** अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उस कोटि से भिन्न जाति का प्रमाण पत्र तथा उपर्युक्त विहित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्रों में प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।
- घ) झारखण्ड सरकार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की रिक्ति के विरुद्ध आवेदन देने वाले अभ्यर्थी के सन्दर्भ में तीन वर्षों का शैक्षणिक अनुभव तथा शास्ति (Penalty) प्रभावी नहीं होने एवं आपराधिक/विभागीय कार्यवाही सम्बन्धी जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत मूल प्रमाण पत्र।
 3. जाति प्रमाण पत्र एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जिला के उपायुक्त अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जाँच के लिए आमंत्रित किया जाना चयन की गारंटी नहीं है। आयोग आवश्यकतानुसार रिक्ति के परिपेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु आमंत्रित कर सकता है।

ह0/-

परीक्षा नियंत्रक
झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।